

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज0)  
प्रार्थना पत्र संख्या :- 77/2025 दिनांक 9/5/25

अनवान

श्री बालविला सूरज गल मुर्दे वरु  
निवासी सामरेया मुर्दे लो वे प्रार्थी / प्रार्थीगण  
बनाम  
श्री बालविला सूरज गल मुर्दे वरु  
निवासी सामरेया मुर्दे लो वे विपक्षी / विपक्षीगण

:: आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत बाबत पत्थरगढी करने::

न्यायालय में अधिवक्ता श्री K.C. मन्नी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाद जाँच दर्ज किया जाकर प्रकरण में जाँच किये जाने पर पाया कि प्रार्थी/प्रार्थीगण वर्णित आराजीयात का खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी की कृषि आराजी मौजा सामरेया कल पटवार हल्का सामरेया कल की आराजी संख्या 521/446 कुल कीता-01 कुल रकबा 0.6480 कृषि भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा सामरेया कल पटवार हल्का सामरेया कल की आराजी संख्या 521/446 कुल कीता-01

कुल रकबा 0.6480 भूमि की पत्थरगढी हेतू सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण की उपस्थिती में प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क की राशि 1500/- प्राप्त करते हुए मौके की पत्थरगढी की जावे।

संलग्न :- प्रार्थना पत्र  
कीता-①

क्रमांक/सरिस्ता/2025/ 297

प्रार्थना पत्र संख्या 77/25 व अनवान श्री बालविला सूरज गल मुर्दे वरु प्रार्थना पत्र अध्या 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको वारते पालनार्थ दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी, बेगू  
जिला चित्तौडगढ़(राज.)

दिनांक :- 14.5.25

उपखण्ड अधिकारी, बेगू  
जिला चित्तौडगढ़(राज.)